

43/2019
07/11/19

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक/कोर्ट/2019/ 43

दिनांक...07/...11/2019

—: निर्णय :—

तहसीलदार चूरु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वन टू वन मैपिंग का कार्य सम्पादित करने के लिये ग्राम नाकरासर पटवार मण्डल नाकरासर की जमाबंदी संवत् 2071-74 में खाता सं. 198 में खसरा नम्बर 564/423 के स्थान पर खसरा नम्बर 463/564 दर्ज किया जाना उचित होगा। भू.अ. निरीक्षक नाकरासर तथा पटवारी हल्का सहजूसर द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम नाकरासर पटवार मण्डल नाकरासर की जमाबंदी संवत् 2071-74 में खाता सं. 198 में खसरा नम्बर 564/423 के स्थान पर खसरा नम्बर 463/564 शुद्ध किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार चूरु ने भी खाता सं. 198 में खसरा नम्बर 564/423 के स्थान पर खसरा नम्बर 463/564 शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

अतः पटवारी हल्का सहजूसर, भू.अ. निरीक्षक नाकरासर तथा तहसीलदार चूरु की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अंतर्गत ग्राम नाकरासर पटवार मण्डल नाकरासर की जमाबंदी संवत् 2071-74 में खाता सं. 198 में खसरा नम्बर 564/423 के स्थान पर खसरा नम्बर 463/564 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



उपखण्ड अधिकारी
चूरु